महेन्द्र कुमार गुप्ता
MAHENDRA KUMAR GUPTA
संयुक्त सचिव
Joint Secretary

Azadi Ka Amrit Mahotsav

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या 36-3/89-विधि
दिनांक: 22 जुलाई, 2025

सेवा में

सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों/केंद्रों के निदेशक/प्रमुख

विषय: न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु समय पर कार्रवाई।

प्रिय महोदय/ महोदया,

आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि सीएसआईआर मुख्यालय प्रति-शपथपत्र/अपील दाखिल करने और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विलंब से बचने हेतु समय-समय पर अनुदेश/दिशानिर्देश/एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी करता रहा है। इसके बावजूद यह देखने में आया है कि कुछ सीएसआईआर प्रयोगशालाएँ/संस्थान माननीय न्यायालय के आदेशों का समय पर अनुपालन करने अथवा उन्हें चुनौती देने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, सीएसआईआर के निदेशकों/महानिदेशक के विरुद्ध नामजद अवमानना याचिकाएँ दायर की जाती हैं, जिससे एक अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अत: इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए यह अनिवार्य किया गया है कि न्यायालयों के सभी आदेशों का अनुपालन अथवा उन्हें चुनौती दिया जाना निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए।

ऐसे मामले जहां न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने अथवा उन्हें चुनौती देने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो, आपसे अनुरोध है कि निम्नानुसार कार्यवाही करें :

1. मामले में देरी से बचने के लिए समय विस्तार की मांग करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करना तथा इस प्रयोजन के लिए वकील की नियुक्ति हेतु अनुमोदन के लिए सीएसआईआर मुख्यालय को प्रस्ताव भेजना।
2. यदि मामला परामर्श के लिए सीएसआईआर मुख्यालय को भेजा गया है, तो प्रयोगशाला/ संस्थान द्वारा सीएसआईआर मुख्यालय में संबंधित प्रभाग के परामर्श के बाद समय विस्तार की मांग करते हुए आवेदन दायर करना।
3. मुख्यालय और इसकी इकाइयों से संबंधित मामलों के संबंध में, जहां माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए समय विस्तार की आवश्यकता है, विधि अनुभाग को **न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की नियत तारीख से कम से कम 15 दिन पहले** समय विस्तार हेतु आवदेन दाखिल करने के लिए सूचित किया जाए।

जारी 2/

Tel. : 91-11-23716582, 23351745, E-mail : jsa@csir.res.in

किसी भी प्रतिकूल परिणाम से बचने और सीएसआईआर की प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु न्यायालय के आदेशों का समय पर अनुपालन आवश्यक है।

इस मामले में आपका सहयोग एवं सतर्कता अत्यधिक सराहनीय होगी। कृपया सुनिश्चित करें कि न्यायालय के सभी आदेशों का अनुपालन अथवा उनको चुनौती समयबद्ध रूप से की जाए।

सादर,

भवदीय,

(महेंद्र कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

प्रति:

1. महानिदेशक, सीएसआईआर – सूचनार्थ
2. वित्त सलाहकार,सीएसआईआर
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
4. सभी प्रभागीय प्रमुख, सीएसआईआर मुख्यालय
5. वरिष्ठ उप सचिव (नीति प्रभाग)
6. वरिष्ठ उप सचिव (भर्ती एवं मूल्यांकन)
7. उप सचिव (मानव संसाधन-I)
8. उप सचिव (मानव संसाधन-II)
9. उप सचिव (के. का)
10. उप सचिव (डीआरसी)
11. प्रमुख आईटी- मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध सहित।
12. कार्यालय प्रति